KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO. 210400510 Block/Sector:- BAIRI AKBARPUR KACHHAR

Plot/House:- 304 PART &307 PART SCHEME :- NONSCHEME

Permit Date:- 15/09/2010 Application Date:- 21/04/2010

Permit No:- 61/BHAWAN/2007-08

Area (Place) BAIRI AKBARPUR KACHHAR

Land Usage:- GROUP HOUSING

Applicant'sName-: SATYENDRA KUMAR MAHESHWARI & OTHERS

PresentAdresss: KANPUR

Sanction vide order dated: 6/05/2010 V.C. build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Vaild for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case of renewal .

Authorised Signatory
महावीर सिंह
मुख्य नगर नियोजक

Copy to:- Officer inchare (Enforcement)alonghwith sanctioned copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्ते–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/ग्रेह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवशित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहां पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होगें। एवं सोलर वाटरहीटिंग का प्राविधान करना होगा।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15–ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. भू–स्वामित्व के संबंध में वाद विवाद की समस्त जिम्मेदारी पक्षों की होगी।
11. भूकम्परोधी निर्माण एवं संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अध्याय 13 में वर्णित समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा तथा डिजाइन ड्राइंग सर्टीफिकेट के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
12. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त एन0ओ0सी0 के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा ।
13. मानचित्र में प्रदर्शित पार्किंग एवं पार्क पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
14. सोलर वाटर हीटिंग एवं वृक्षारोपण की प्रस्तावना स्थल पर करनी होगी।
15. परिसर के अन्दर विकास कार्य एवं भवन निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार पूर्णतः प्रमाणपत्र प्राधिकरण से प्राप्त करने के उपरान्त अध्यासन की कार्यवाही की जायेगी।
16. भूस्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार वाद/विवाद की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।

Authorised Signatory
महावीर सिंह
मुख्य नगर नियोजक